उद्योग मित्र बैठक का एजेण्डा (दिनांक 29/08/2023):–

एजेण्डा समिति के सम्मुख विचारार्थ निम्नवत् प्रस्तुत है–

एजेण्डा बिन्दु 01–विद्युत वितरण उपखण्ड, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़ औद्योगिक आस्थान बिण में हिल्ट्रान बिल्डिंग के पास सड़क से एच0टी0 पोल/लाईन को अन्यत्र स्थानांतरित करने विषयक–

औद्योगिक आस्थान बिण में हिल्ट्रान बिल्डिंग के पास सड़क से एच0टी0 पोल/लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु अनुमानक की आवश्यक धनराशि–249769/– रू0 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पिथौरागढ़ द्वारा कार्यालय में जमा किए जाने हेतु उनके पत्रांक संख्या–522/वि0वि0ख0/ई0–3(जमा) दिनांक 22/05/2023 के तहत सूचित किया गया है। दिनांक 16/03/2023 को आयोजित जिला उद्योग मित्र की बैठक में अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त पोलो के स्थानांतरण हेतु अनुमानित व्यय रूपया 1.80 लाख मौखिक अवगत कराया गया था जिसके सापेक्ष जिला योजना 2023–24 में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण एवं रख–रखाव मद में रूपया 2.00 लाख की मांग प्रस्तावित की गई तथा विभाग को उक्त कार्य हेतु रू0 2.00 लाख अवमुक्त हो गया है। किन्तु विद्युत विभाग द्वारा उनके पत्रांक संख्या–522/वि0वि0ख0(पि0)/ई–3(जमा) दिनांक 22/05/2023 के तहत रू0 249769/– धनराशि का आगणन प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम में अध्यक्ष महोदया, से हुई वार्ता के क्रम में, महोदया, द्वारा एच0टी0पोल को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने हेतु रू0 2,00,000/– का अनुमानक प्राप्त करने हेतु संबंधित विभाग से संशोधित आगणन हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पिथौरागढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–512–13/मि0औ0आ0/विद्युत पोल/2023–24 दिनांक 08/08/2023 के तहत अनुमानक प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में विद्युत वितरण खण्ड द्वारा उनके पत्रांक संख्या–1666/विविखण्ड (पि0)/ई–3 (जमा) दिनांक 18/08/2023 के तहत संशोधन संभव नहीं हो पाने से अवगत कराया गया है। अतः उक्त मामला समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या 02–मिनी औद्योगिक आस्थान, विण का स्थलीय विकास (ड्रेनेज सिस्टम, पानी की सुविधा, एस0टी0पी0 आदि) एवं भूखण्ड आवंटन के संबंध में विचारः–

जनपद पिथौरागढ़ में स्थापित मिनी औद्योगिक आस्थान बिण में रिक्त भूखण्ड क्रमशः 22 प्लॉट (क्षेत्रफल 9255.46 वर्ग मीटर) एवं 09 प्लाट (क्षेत्रफल 1958.75 वर्ग मीटर) कुल 31 प्लाट अविकसित अवस्था में हैं, जिनमें जनपद के उद्यमियों से विभागीय वेबसाइट में आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिसके क्रम में 37 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित 25 आवेदकों को दिनांक 12.04.2023 को प्लाट आवंटन की सहमति दी गई। उद्यमियों द्वारा आवंटन से पूर्व भूखण्ड को विकसित किए जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। स्थल विकास हेतु ब्रिडकुल द्वारा रू0 113.74 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सी0सी0 कार्य, वाटर सप्लाई, सीवर लाईन, एस0टी0पी0, ड्रेन, प्लांटिंग का कार्य किया जाना है। जिसके क्रम में भूखण्ड स्थलीय विकास हेतु कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ पत्रांक संख्या–1575/मि0औ0आ0 बिण/बजट मांग/2022–23 दिनांक 22/02/2023 के तहत बजट मांग भी की गई है, जिसके क्रम में अवगत कराना है आतिथि तक बजट अप्राप्त है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि समिति द्वारा उक्त बैठक दिनांक 12/04/2023 में निर्णय लिया गया था कि आवंटियों को आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित किए जाएंगे। अवगत कराना है कि कई आवेदकों द्वारा कार्यालय में आवंटन पत्र हेतु संपर्क किया जा रहा है साथ ही अवगत कराना है कि आगामी माह में राजधानी एवं जनपद स्तर पर Invester Meet का आयोजन प्रस्तावित है जिस हेतु जनपद स्तर से प्रस्तावित निवेश एम0ओ0यू0 के माध्यम से प्रेषित किए जाने हैं। इस संबंध में सचिव महोदय द्वारा दिनांक 24/08/2023 को समस्त महाप्रबंधकों की V.C के माध्यम से बैठक ली गई, जिसमें महोदय द्वारा Invester Meet एवं Land Bank के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। अतः उक्त प्रकरण समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या–03–उद्यम स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकन के लक्ष्य निर्धारण पर विचारः–

उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड औद्योगिक आस्थान, पटेलनगर, देहरादून के पत्रांक संख्या–1686–सी/उ0नि0(पांच)/ए0खि0/2023–24 दिनांक 05 अगस्त 2023 के तहत अवगत कराया गया है कि उद्यम स्थापना हेतु भूमि एक महत्वपूर्ण अवयव है। निजी क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा "निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023" घोषित की गई है। इस क्रम में जनपदों में उद्यम स्थापना हेतु निजी क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष–2023–24 हेतु जनपद पिथौरागढ़ को 25 एकड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः भूमि चिन्हांकन हेतु प्रकरण समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या 04– नवीनतम प्रख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 के संबंध में जानकारीः–

उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के अधिसूचना संख्या–1145/सात–03–23/04 (01)–एम0एस0एम0ई0/2023 देहरादून दिनांक 09 अगस्त, 2023 के तहत एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के समावेशी विकास, अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दृष्टिगत वर्तमान परिदृश्य और अनुमानित भविष्य के अनुरूप रोजगार सृजन एवं स्वरोजगार हेतु **"सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023'** प्रख्यापित किए जाने हेतु एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय, द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में नीति–2023 योजना का परिचय समिति एवं औद्योगिक संगठन (पी0आई0ए0) के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र,
पिथौरागढ़।